कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

00 आदेश 00

क्रमांक 114/ दो–11–3/17 **जांजगीर–चांपा, दिनांक 01.05.2018**

इस कार्यालय स्थापना में रिक्त सहायक ग्रेड–3 के 20 पदों के लिये दिनांक 19/01/17 को आयोजित लिखित परीक्षा एवं दिनांक 03/12/17 को आयोजित कौशल परीक्षा में योग्य पाये गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों की जारी चयन सूची को निम्नलिखित आधारों पर निरस्त किया जाता है:–

1–श्री संतोष यादव आ0 गीत राम यादव

श्री संतोष यादव, दस्तावेज परीक्षण हेतु दिनांक 01/01/18 को उपस्थित नहीं हुए। श्री संतोष यादव का चयन भूतपूर्व सैनिक के एक रिक्त पद के विरूद्ध किया गया था उन्होंने विज्ञापन के अनुसार जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसके कंडिका क्र0 13 में **''क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, हॉ /नहीं** के सामने में **हॉ** अंकित किया गया था, लेकिन जब इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्र क्र0 2586/दो–11–3/17 दिनांक 23/12/17 उन्हें प्रेषित किया गया था। जिसके परिपालन में उनके द्वारा कार्यालय में इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वे **''भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत नहीं आते है और उन्होंने इस वर्ग के लिए आवेदन भी नहीं दिया था। उन्होने अपने आवेदन पत्र में भूतपूर्व सैनिक के कॉलम नं013 में हॉ नहीं लिखा था।''**इस प्रकार उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र की कंडिका में मिथ्या जानकारी दिया गया।

2– कु0 रेवती सिंह मरावी`

कु0 रेवती सिंह करावी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यापन हेतु दिनांक 02/01/18 के लिए लिखित सूचना क्रमांक 2607/दो–11–3/17 दिनांक 26/12/17 जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद उपरोक्त अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ और आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के सत्यापन में कोई रूचि नहीं लिया। उन्हें उनके आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल पर भी सूचित किया गया किन्तु कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न छाया प्रति के दस्तावेजों का सत्यापन हेतु दिनांक 28/04/18 तक उपस्थित नहीं हुई।

3– श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा

श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा, को भी मूल दस्तावेज के सत्यापन हेतु कार्यालय में दिनांक 02/01/18 को उपस्थित होने के लिए ज्ञापन क्र0 2608/दो–11–3/17 दिनांक 26/12/17 को जारी किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुई, इसी दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के द्वारा श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा के संबंध में ज्ञापन क्र0 11/चार–3–4/05, दिनांक 03/01/18 प्राप्त हुआ, जो अधोहस्ताक्षरित द्वारा प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 2566/दो–11–3/17 दिनांक 20/12/17 के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर ने सूचित किया कि क्या नेहा सिन्हा वर्मा, सहा0ग्रेड–3 जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर की स्थापना के कार्यालय में दिनांक 25/04/10 से कार्यरत है, श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा द्वारा जिला जांजगीर–चांपा के स्थापना में आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व उनसे

ना तो कोई अनुमति लिया था और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा ने अपने आवेदन की कंडिका 19 में ''**क्या वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है'' ''हां''/नहीं** के आगे ''**नहीं** '' लिखी गई है। चयनित अभ्यार्थी श्रीमती नेहा सिन्हा वर्मा अपने आवेदन में मिथ्या जानकारी दी तथा उन्होंने अपने कार्यालय से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति प्राप्त किये बगैर इस कार्यालय में आवेदन दिया था।

4— श्रीमती ईश्वरी जायसवाल

श्रीमती ईश्वरी जायसवाल भी दस्तावेज परीक्षण हेतु दिनांक 02/01/18 को उपस्थित नहीं हुई, जबकि उन्हें उपस्थिति हेतु कार्यालय द्वारा लिखित सूचना जारी की गई थी, इसके अतिरिक्त श्रीमती ईश्वरी जायसवाल के पति श्री नवीन कुमार जायसवाल जांजगीर जिला स्थापना में ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर—चांपा के न्यायालय में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत है और उन्होंने यह सूचित किया कि उनकी पत्नी श्रीमती ईश्वरी जायसवाल का चयन परिवार न्यायालय रायगढ़ में सहायक ग्रेड—3 के पद पर हो गया है, इसलिए वे इस कार्यालय में सेवा देने की इच्छुक नहीं है।

5— श्रीमती मनीषा सोनी

चयनित अभ्यार्थी श्रीमती मनीषा सोनी ने अपने आवेदन पत्र की कंडिका 19 ''**क्या वर्तमान में किसी शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है'' ''हां/नहीं''** के कॉलम में ''**नही''** में सही का चिन्ह लगाकर आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी ने ज्ञापन कमांक 2122/दो—11—01/15, दिनांक 28/12/17 के माध्यम से सूचित किया कि श्रीमती मनीषा सोनी उनके कार्यालय में सहायक ग्रेड—3/निष्पादन लिपिक के पद पर कार्यरत है, वे अपने पीठासीन अधिकारी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 को स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने के संबंध में पत्र दिनांक 21/11/17 को प्रेषित कर अपने कर्तव्य में अनुपस्थित थी तथा आवेदन पत्र की कंडिका क0 19 में मिथ्या जानकारी दिया गया था।

सही/—
(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर—चांपा,छ0ग0

कमांक 949 **/ दो—11—3/17** **जांजगीर—चांपा, दिनांक 01.05.2018** 02

यथा आदेश प्रतिलिपि :—

1— प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटराईजेशन, जांजगीर की ओर कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर अग्रेषित।
2— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग जांजगीर की ओर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतु अग्रेषित।
3— अध्यक्ष, भर्ती/पदोन्नति समिति, जांजगीर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

01/5/18

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर—चांपा,छ0ग0